

25/5/18

प्रावली पेराडुमी / प्रावली का
अवलोकन किया गया। क्षीमा क्षीमा
225 RTA से तहत पेरा क्षीमा-ई
जिसमें क्षीमाक्षीमा न्यायालय 800 लक्षणागत
हारा क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा 8.5.2018 का
क्षीमा क्षीमाक्षीमा तहत न्यायालय का यह
क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा
में क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा का वपन क्षीमाक्षीमा,
क्षीमाक्षीमा न्यायालय ने उन्हें क्षीमाक्षीमा
क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा। क्षीमाक्षीमा। क्षीमाक्षीमा।
क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा। क्षीमाक्षीमा। क्षीमाक्षीमा। क्षीमाक्षीमा।
क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा। क्षीमाक्षीमा।
क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा क्षीमाक्षीमा। क्षीमाक्षीमा।

क्रीलां हात कधी न्यायालय
के आदेश को स्वीकार करने का
अनुरोध था।

हमने कधी न्यायालय के
आदेश को 8.5.2018 को स्वीकार
किया। वह न्यायालय का आदेश
अंतरिम आदेश है तथा क्रीलां
प्रति हमने वह न्यायालय में न तो
जवाब दे दिया है जो न हो
वह अनुरोध था कि इसे भी
सुनना इच्छा न कर निर्णय पारित
हो (जैसे) कि क्रीलां ने वह न्यायालय
क्षमता में प्राप्त नहीं है।

कि: क्रीलां को आदेश है कि वह
वह क्षमता में ही अपना जवाब दे दे।
वह क्षमता से ही सीधे सुनवाई का
अनुरोध करे। क्रीलां में किनी उपाय
स्वीकार दिया जाना न्यायाधीश नहीं है।

कि: क्रीलां क्रीलां को न्यायालय
निर्णय के साथ स्वीकार करे। कि
वह कधी न्यायालय में ही जवाब दे दे।
स्वीकार करे वह न्यायालय को
निर्णय प्राप्त कराए।

निर्णय प्राप्त कराए।
निर्णय प्राप्त कराए।
निर्णय प्राप्त कराए।